

३१ अगस्त १९७८ को नियोजन का विनियम लागू होने की तिथि

डॉक कर्मकार (नियोजन का विनियम) अधिनियम, 1948 के महापत्तन न्यासों के डॉक कर्मकारों को लागू न होने का और उससे संसकत या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए अधिनियम

डॉक कर्मकार (नियोजन का विनियम)

(महापत्तनों को लागू न होना)

अधिनियम, 1997

(1997 का अधिनियम संख्यांक 31)

[१८ अगस्त, १९९७]

डॉक कर्मकार (नियोजन का विनियम) अधिनियम, 1948 के

महापत्तन न्यासों के डॉक कर्मकारों को लागू न होने

का और उससे संसकत या उसके आनुषंगिक

विषयों का उपबंध

करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के अड़तालीसवें वर्ष में संसद द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम डॉक कर्मकार (नियोजन का विनियम) (महापत्तनों को लागू न होना) अधिनियम, 1997 है।

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ।

(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करें।

2. इस अधिनियम में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हों,—

परिभाषाएं।

(क) किसी महापत्तन के संबंध में “नियत दिन” से उस महापत्तन के लिए धारा 3 के अधीन विनियोजित तारीख अभिप्रेत है ;

(ख) “बोर्ड” का वही अर्थ है जो महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 में है :

1963 का 38

(ग) “डॉक अम बोर्ड” से डॉक कर्मकार (नियोजन का विनियम) अधिनियम, 1948 की धारा 5के अधीन स्थापित डॉक अम बोर्ड अभिप्रेत है ;

1948 का 9

(घ) "महापत्तन" का वही अर्थ है जो भारतीय पत्तन अधिनियम, 1908 का 15
1908 में है।

डॉक कर्मकार (नियोजन का विनियमन) अधिनियम, 1948 के उपबंधों का महापत्तनों को लागू न होना।

3. केन्द्रीय सरकार, किसी महापत्तन के डॉक अम बोर्ड और उसके कर्मकारों और उस महापत्तन के प्रबंध मंडल के बीच औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के उपबंधों के अनुसार समझौता हो जाने के पश्चात् शायपत्र में अधिसूचना द्वारा यह निर्देश दे सकेगी कि डॉक कर्मकार (नियोजन का विनियमन) अधिनियम, 1948 के उपबंध उस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट तरीख से उस महापत्तन के संबंध में प्रभावहीन हो जाएंगे।

1947 का 14
1948 का 9

डॉक अम बोर्ड अधिकारी आस्तियां और वायितवों का बोर्ड को अंतरण।

4. (1) किसी महापत्तन के संबंध में नियत दिन को:—

(क) ऐसे दिन के ठीक पूर्व डॉक अम बोर्ड में निहित सभी संपत्ति आस्तियां और निधियां बोर्ड में निहित हो जाएंगी;

(घ) डॉक अम बोर्ड के लिए या उसके प्रयोजनों के संबंध में ऐसे दिन के ठीक पूर्व डॉक अम बोर्ड द्वारा, उसके साथ या उसके लिए उपगत सभी क्रृष्ण, बाध्यताएं और वायितव की गई सभी संविदाएं और किए जाने के लिए वचनवद्ध सभी मामले और बातें बोर्ड, द्वारा, उसके साथ या उसके लिए उपगत, की गई या किए जाने के लिए वचनवद्ध समझी जाएंगी;

(ग) ऐसे दिन के ठीक पूर्व डॉक अम बोर्ड को देख सभी घनराशियां बोर्ड को देख समझी जाएंगी;

(घ) डॉक अम बोर्ड के संबंध में किसी मामले के लिए, ऐसे दिन के ठीक पूर्व, डॉक अम बोर्ड द्वारा या उसके विहृत संस्थात किए गए सभी बाद और अन्य विधिक कार्यवाहियां बोर्ड द्वारा या उसके विहृत चालू रखी जा सकेंगी; (संपादित 1908)

(इ) डॉक अम बोर्ड के अधीन सेवारत प्रत्येक कर्मचारी और कर्मकार बोर्ड के अधीन पद या सेवा उन्हीं निवंधनों और शर्तों पर धारण करेगा, जो किसी भी प्रकार से उनसे कम अनुकूल नहीं है, जो उसे ग्राह्य होती या उसकी सेवाओं का बोर्ड को अंतरण नहीं होता, और तब तक वह ऐसा करता रहेगा जब तक बोर्ड में उसका नियोजन सम्यक् रूप से समाप्त नहीं कर दिया जाता है या जब तक उसकी पदावधि, पारिश्रमिक या सेवा के निवंधनों और शर्तों में बोर्ड द्वारा सम्यक् रूप से परिवर्तन नहीं कर दिया जाता है।

(2) औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, इस धारा के अधीन किसी कर्मचारी की सेवाओं का बोर्ड को अंतरण ऐसे कर्मचारी को उस अधिनियम या किसी अन्य विधि के अधीन किसी प्रतिकर का हकदार नहीं बनाएगा और कोई ऐसा दावा किसी व्यायालय, अधिकरण या अन्य प्राधिकारी द्वारा ग्रहण नहीं किया जाएगा।

1947 का 14

संपादित 1908
संपादित 1908
संपादित 1908

संपादित 1908
संपादित 1908
संपादित 1908
संपादित 1908
संपादित 1908
संपादित 1908

संपादित 1908
संपादित 1908